

Form No. III  
फॉर्म अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत अतिरिक्त जिला कलक्टर, कुचामन सिटी (नागौर) 341508


पद्मा देवी

बनाम ग्राम पंचायत काशीनगर एवं अन्य

किस्म मुकदमा अपील/पत्र/वाद/विविध/निगरानी संख्या





30/2022

सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12 26/2022	<p>यह स्थगन प्रार्थना पत्र वकील प्रार्थी ने ग्राम पंचायत काशीनगर पंचायत समिति मकराना द्वारा जारी नोटिस क्रमांक 42 दिनांक 01.12.2022 के विरुद्ध पेश कर मूल निगरानी के निर्णय तक यथा स्थिति बनाये रखने बाबत प्रस्तुत किया है।</p> <p>वकील निगरानीकार को स्थगन प्रार्थना पत्र पर एकपक्षीय सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम पंचायत काशीनगर द्वारा जारी नोटिस क्रमांक 42 दिनांक 01.12.2022 की क्रियान्विति आगामी आदेश तक स्थगित रखी जाती है। गैरनिगरानीकार आगामी आदेश तक रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनायी रखे। गैर निगरानीकार जरिए नोटिस तलब हो। पत्रावली दिनांक 30.01.2023 को पेश हो</p> <p style="text-align: right;">अति. जिला कलक्टर कुचामन सिटी (नागौर)</p>	
30/1/23	<p>पत्रावली पेश हुई आदेशिका दिनांक 26/1/23 के कारित आदेश आगामी तारीख पेशी तक बहाल जाना दो पत्रावली दिनांक 27/02/23 के पेश हो</p>	
07/2/23	<p>पत्रावली पेश हुई आदेशिकाओं द्वारा कार्य हलकित किए और दो पत्रावली दिनांक 14/3/23 के पेश हो</p>	
14/3/23	<p>पत्रावली पेश हुई आदेशिकाओं POSB इवकाथ पर होत दो पत्रावली दिनांक 21/3/23 के पेश हो</p>	

# अज अदालत अतिरिक्त जिला कलक्टर, कुचामन सिटी ( नागौर )

मुकदमा नं. ....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
२५/११/२०२५	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली मूल अपील के साथ दिनांक ०२/१२/२०२५ को पेश की।	 जिला कलक्टर डीडवाना-कुचामन
२१/१२/२५	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली मूल निगरानी के साथ दिनांक ३१/१२/२५ को पेश की।	 जिला कलक्टर डीडवाना-कुचामन
३१/१२/२५	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली मूल निगरानी के साथ दिनांक १०/१२/२५ को पेश की।	 जिला कलक्टर डीडवाना-कुचामन
१०/१२/२५	पत्रावली पेश हुई। इसी उतरान की एक निगरानी का निर्दिष्ट हुए हुकम की निगरानी का निर्णय होने से इस अधिका पत्र का कोई कोटि लय नहीं रह जाता है अतः अधिका पत्र खारीस किया जाता है पत्रावली के साथ दुभार होकर खारीस दफ्तर है।	 जिला कलक्टर डीडवाना-कुचामन